

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के ऐसे किसी उपबंध में के किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 7 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्ययेन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार;

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य

विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक्-पृथक् व्यक्ति समझा जायेगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर ऐसे एक व्यक्ति से अन्य को किया गया समझा जायेगा;"।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) खण्ड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदाय के विवरण में नहीं दिये गये हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित नहीं किये गये हैं;"।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 की विद्यमान उप-धारा (5) हटायी जायेगी।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"44. वार्षिक विवरणी.- इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए एक स्वप्रमाणित समाधान विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा:

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान कर सकेगा:

परन्तु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिसकी लेखा बहियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा, लेखापरीक्षा के अधीन हैं, लागू नहीं होगी।।

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 50 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात्, किसी कर कालावधि के दौरान किये गये प्रदायों के संबंध में और उक्त कालावधि के लिए दी गयी विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी उक्त कालावधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् दी जाती है, कर के उस भाग पर, जिसका संदाय इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से निकासी द्वारा किया जाता है, संदेय होगा।।"

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 74 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 122, 125, 129 और धारा 130" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "धारा 122 और 125" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 75 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (12) में निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "स्वतः निर्धारित कर" में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किये गये जावक

प्रदायों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।"।

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 83 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 83 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, कराधेय व्यक्ति या धारा 122 की उप-धारा (1क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से संबंधित किसी संपत्ति, जिसमें बैंक खाता भी सम्मिलित है, को ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।"

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 107 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "|" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु धारा 129 की उप-धारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा, शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का, संदाय नहीं कर दिया गया हो।"

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 129 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 129 में,-

(i) उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां

माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) ऐसे माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है";

- (ii) विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी;
 (iii) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) माल या प्रवहण का निरोध या अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, ऐसे निरोध या अभिग्रहण के सात दिवस के भीतर-भीतर, संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए, नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात्, ऐसे नोटिस की तारीख से सात दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए आदेश पारित करेगा।";

- (iv) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कोई कर, ब्याज या शास्ति" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कोई शास्ति" प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (v) विद्यमान उप-धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उप-धारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर, उप-धारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, वहां इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या प्रवहण, उप-धारा (3) के

अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जैसाकि विहित किया जाये, विक्रय किये जाने या अन्यथा निपटाये जाने का दायी होगा:

परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा उप-धारा (3) के अधीन शास्ति या एक लाख रुपये, जो भी कम हो, का संदाय किये जाने पर प्रवहण को निर्मुक्त किया जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिगृहीत माल नष्ट होने योग्य या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में हास होने की संभावना है तो उक्त पन्द्रह दिवस की कालावधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।"।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 130 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 130 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "जहां कोई" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 129 की उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा:" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति से कम नहीं होगा:" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) विद्यमान उप-धारा (3) हटायी जायेगी।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 151 का प्रतिस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"151. सूचना मंगवाने की शक्ति.- आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को, ऐसे समय के भीतर-भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत

किसी मामले से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकेगा।"।

14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 152 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 152 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी व्यक्ति विवरणी या उसके भाग की सूचना," के स्थान पर अभिव्यक्ति "कोई भी सूचना," प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "समर्थ बना सकें और" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसी सूचना इस अधिनियम" से पूर्व, अभिव्यक्ति "संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना" अंतःस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 2 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, विद्यमान पैरा 7 हटाया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से हटाया हुआ समझा जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने की दृष्टि से राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया गया था।

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात्:-

- (i) विधेयक का खण्ड 2 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 को, उसकी उप-धारा (1) में एक नया खण्ड (कक) अंतःस्थापित करके 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्ययेन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय से अंतर्वलित क्रियाकलापों या संव्यवहारों पर कर का उद्ग्रहण सुनिश्चित किया जा सके।

इसमें एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी व्यक्ति या उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक्-पृथक् व्यक्ति समझा जायेगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर ऐसे एक व्यक्ति से अन्य को किया गया समझा जायेगा।

- (ii) विधेयक का खण्ड 3 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 को, उसकी उप-धारा (2) में एक नया खण्ड (कक) अंतःस्थापित करके संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे यह उपबंध किया जा

सके कि बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग केवल उस समय किया जा सकेगा, जब ऐसे बीजक या नामे नोट के ब्यौरे प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदायों के विवरण में दिये गये हैं और ऐसे ब्यौरे, ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित कर दिये गये हैं।

- (iii) विधेयक का खण्ड 4 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 35 की उप-धारा (5) को हटाने के लिए ईप्सित है जिससे कि वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा कराने और विनिर्दिष्ट वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत समाधान विवरण की अनिवार्य अपेक्षा को समाप्त किया जा सके।
- (iv) विधेयक का खण्ड 5 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्थान पर एक नयी धारा प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि विनिर्दिष्ट वृत्तिक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित समाधान विवरण को प्रस्तुत करने की अनिवार्य अपेक्षा को समाप्त किया जा सके और स्वप्रमाणन के आधार पर वार्षिक विवरणी फाइल करने का उपबंध किया जा सके। यह खण्ड इसके अतिरिक्त, वार्षिक विवरणी फाइल करने की अपेक्षा से करदाताओं के वर्ग को छूट प्रदान करने के लिए आयुक्त को सशक्त करता है।
- (v) विधेयक का खण्ड 6 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 को उसकी उप-धारा (1) के परन्तुक को प्रतिस्थापित करके संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे शुद्ध नकद दायित्व पर 1

- जुलाई, 2017 से भूतलक्षी प्रभाव से ब्याज प्रभारित किया जा सके।
- (vi) विधेयक का खण्ड 7 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे अभिवहन में माल और प्रवहण के अभिग्रहण और अधिहरण को कर की वसूली से एक पृथक् कार्यवाही बनाया जा सके।
- (vii) विधेयक का खण्ड 8 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 75 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे यह स्पष्ट करने के लिए उप-धारा (12) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके कि "स्वतः निर्धारित कर" में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किये गये जावक प्रदायों के ब्यौरे के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- (viii) विधेयक का खण्ड 9 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 की उप-धारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनंतिम कुर्की, अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ से लेकर, उसके अधीन किये गये आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति तक की संपूर्ण कालावधि के लिए विधिमान्य बनी रहेगी।
- (ix) विधेयक का खण्ड 10 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 107 की उप-धारा (6) में एक नया परन्तुक अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 129 की

उप-धारा (3) के अधीन किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा, शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय नहीं कर दिया गया हो।

- (x) विधेयक का खण्ड 11 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि अभिवहन में माल और प्रवहणों के निरोध, अभिग्रहण और निर्मुक्त किये जाने से संबंधित उस धारा के अधीन कार्यवाहियों को माल या प्रवहणों के अधिहरण और शास्ति के उद्ग्रहण से संबंधित धारा 130 के अधीन कार्यवाहियों से असंबद्ध किया जा सके।
- (xi) विधेयक का खण्ड 12 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 130 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे कि माल या प्रवहणों के अधिहरण और शास्ति के उद्ग्रहण से संबंधित उस धारा के अधीन कार्यवाहियों को अभिवहन में माल और प्रवहण के निरोध, अभिग्रहण और निर्मुक्त किये जाने से संबंधित धारा 129 के अधीन कार्यवाहियों से असंबद्ध किया जा सके।
- (xii) विधेयक का खण्ड 13 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 151 को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है जिससे अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले से संबंधित किसी व्यक्ति से सूचना मंगवाने के लिए सशक्त किया जा सके।

- (xiii) विधेयक का खण्ड 14 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 152 की उप-धारा (1) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 150 और 151 के अधीन अभिप्राप्त की गयी कोई भी सूचना संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं ली जायेगी।
- (xiv) विधेयक का खण्ड 15 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 के पैरा 7 को, धारा 7 में किये गये संशोधनों के परिणामस्वरूप, 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी प्रभाव से, हटाने के लिए ईप्सित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन
महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश ।**

(प्रतिलिपि: संख्या प.2 (24) विधि/2/2021 जयपुर, दिनांक 06 सितम्बर, 2021
प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रेषिति: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

वित्तीय ज़ापन

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 में राजस्थान की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।

अशोक गहलोट,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी जापन

विधेयक का खण्ड 5 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जिससे राज्य सरकार को, नियमों द्वारा ऐसा समय जिसके भीतर-भीतर, और वह प्ररूप जिसमें, और रीति जिससे, इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमेतिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का खण्ड 9 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 को उसकी उप-धारा (1) को प्रतिस्थापित करके संशोधित करने के लिए ईप्सित है जो राज्य सरकार को, नियमों द्वारा ऐसी रीति, जिससे आयुक्त, कराधेय व्यक्ति या धारा 122 की उप-धारा (1क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से संबंधित किसी संपत्ति, जिसमें बैंक खाता भी सम्मिलित है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा, का उपबंध करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का खण्ड 11 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है। उक्त धारा की उप-धारा (6) राज्य सरकार को, नियमों द्वारा वह रीति जिससे, और वह समय जिसके भीतर-भीतर, उस धारा के अधीन निरुद्ध या अभिगृहीत माल या प्रवहण का विक्रय किया जायेगा या उसे निपटाया जायेगा, का उपबंध करने के लिए सशक्त करने के लिए ईप्सित है।

ऐसे मामले, जिनके संबंध में नियम बनाये जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों से संबंधित मामले हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं.

9) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

35. लेखे और अन्य अभिलेख.- (1) से (4) XX XX XX

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा 44 की उप-धारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति से प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए:

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी पर लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किये जाने के अध्याधीन हैं।

(6) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

44. वार्षिक विवरणी.- (1) इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या

धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, इलेक्ट्रानिक रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के पश्चात् 31 दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा:

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई भी विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 35 की उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसार उसके लेखाओं की लेखापरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और एक समाधान विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों के साथ, जो विहित की जाए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में उप-धारा (1) के अधीन एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के लिए वार्षिक विवरणी 31 जनवरी, 2020 को या से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी और 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की कालावधि के लिए वार्षिक विवरणी 31 मार्च, 2020 को या से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।

XX XX XX XX XX

50. कर के विलंबित संदाय पर ब्याज.- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किन्तु सरकार को विहित कालावधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस कालावधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा:

परन्तु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात्, किसी कर कालावधि के दौरान किये गये प्रदायों के संबंध में उक्त कालावधि के लिए दी गयी विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी उक्त कालावधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् दी जाती

है, कर के उस भाग पर, जिसका संदाय इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से निकासी द्वारा किया जाता है, उद्गृहीत किया जायेगा।

(2) से (3) XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX

74. कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.- (1) से (11) XX XX XX XX

स्पष्टीकरण 1.- धारा 73 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) XX XX XX XX XX

(ii) जहां नोटिस उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन, कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और किन्हीं अन्य व्यक्तियों को, जारी किया जाता है, और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा 122, 125, 129 और 130 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण 2.- XX XX XX XX

75. कर के अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध.- (1) से (11) XX XX XX XX XX XX

(12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वतः निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो धारा 79 के उपबंधों के अधीन उसकी वसूली की जायेगी।

(13) XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX

83. कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की.- (1) जहां धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लम्बित रहने के

दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा।

(2) XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX

107. अपील प्राधिकारी को अपील.- (1) से (5) XX XX XX

(6) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलकर्ता ने-

(क) आक्षेपित आदेश से उद्भूत कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति की रकम को ऐसे भाग का पूर्ण रूप से संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गयी है, से उद्भूत विवाद में कर की शेष रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का, अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपए के अध्यक्षीन रहते हुए, संदाय नहीं किया हो।

(7) से (16) XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX

129. माल का निरोध, अभिग्रहण और निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन करता है या माल का भंडारण करता है जब वे इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अभिवहन में हैं, वहां ऐसे सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त प्रवहण और ऐसे माल तथा प्रवहण से संबंधित दस्तावेज निरोध में लेने या अभिग्रहण के लिए दायी होंगे तथा निरोध या अभिग्रहण के पश्चात् निम्नलिखित रूप में निर्मुक्त हो सकेंगे,-

(क) ऐसे माल पर संदेय कर के और, संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और, छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या

पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के संदाय पर जहां माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) लागू कर के और उस पर संदत्त कर रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति और, छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के संदाय पर जहां माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन संदेय रकम के बराबर प्रतिभूति देने पर:

परन्तु इस प्रकार का माल या अभिवहन, माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति पर निरोध या अभिग्रहण के आदेश की तामील कराये बिना निरोध में या अभिग्रहण में नहीं लिया जायेगा।

(2) धारा 67 की उप-धारा (6) के उपबंध माल और प्रवहण के निरोध और अभिग्रहण के लिए, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

(3) माल या प्रवहण का निरोध या अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी कर और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन कर और शास्ति के संदाय के लिए आदेश पारित करेगा।

(4) संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किये बिना उप-धारा (3) के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति अवधारित नहीं की जायेगी।

(5) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां पूरी कर ली गयी समझी जाएंगी।

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी, उप-धारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का, ऐसे निरोध या अभिग्रहण के चौदह दिवस के भीतर, संदाय करने में

असफल रहता है वहां आगे की कार्यवाहियां धारा 130 के उपबंधों के अनुसार आरंभ की जाएंगी:

परन्तु जहां निरूद्ध या अभिगृहीत माल नष्ट होने योग्य या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में हास होने की संभावना है तो उक्त चौदह दिवस की कालावधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।

130. माल या प्रवहणों का अधिहरण और शास्ति का उद्ग्रहण.-

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति-

(i) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में किसी माल का प्रदाय या प्राप्ति, कर संदाय का अपवंचन करने के आशय से करता है; या

(ii) किसी माल के लिए जिस पर वह इस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है, लेखा नहीं रखता है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किये बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल का प्रदाय करता है; या

(iv) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन, कर संदाय का अपवंचन करने के आशय से करता है; या

(v) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल वहन के लिए किसी प्रवहण का उपयोग साधन के रूप में करता है जब तक कि प्रवहण का स्वामी यह साबित न कर दे कि यह स्वयं उसके, उसके अभिकर्ता, यदि कोई हो, और प्रवहण के प्रभारी व्यक्ति की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना इस प्रकार उपयोग में लाया गया था,

तब ऐसा समस्त माल या प्रवहण अधिहरण के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) जब कभी किसी माल या प्रवहण का अधिहरण इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है तो इसे न्यायनिर्णीत करने वाला अधिकारी, माल के स्वामी को अधिहरण के स्थान पर ऐसा जुर्माना संदाय करने का विकल्प दे सकेगा, जो उक्त अधिकारी ठीक समझे:

परन्तु ऐसा उद्गृहणीय जुर्माना अधिहृत माल के बाजार मूल्य से अधिक और उस पर प्रभारित कर से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऐसे जुर्माने और उद्गृहणीय शास्ति का योग धारा 129 की उप-धारा (1) के अधीन उद्गृहणीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि जहां ऐसा प्रवहण भाड़े पर माल या यात्रियों के वहन करने में प्रयुक्त किया जाये, वहां प्रवहण के स्वामी को अधिहृत प्रवहण के स्थान पर उसमें परिवहन किये माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदत्त करने का विकल्प दिया जा सकेगा।

(3) जहां उप-धारा (2) के अधीन माल या प्रवहण के अधिहरण के स्थान पर कोई जुर्माना अधिरोपित किया गया है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामी या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति इसके अतिरिक्त किसी ऐसे माल के प्रवहण की बाबत् शास्ति और शोध्य प्रभारों के लिए दायी होगा।

(4) से (7) XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX

151. सांख्यिकी संग्रहण की शक्ति.- (1) आयुक्त, यदि वह यह समझता है कि ऐसा किया जाना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या के संबंध में किये गये किसी मामले से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण करने का निदेश दे सकेगा।

(2) ऐसी अधिसूचना जारी करने पर, आयुक्त, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, ऐसे किसी मामले से संबंधित, जिसके संबंध में, सांख्यिकियों का संग्रहण किया जाना है, ऐसी सूचना या विवरणी देने के लिए संबंधित व्यक्ति को बुला सकेगा।

152. सूचना के प्रकटन पर वर्जन.- (1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए दिये गये किसी मामले के संबंध में किसी व्यष्टि विवरणी या उसके भाग की सूचना, संबंधित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित पूर्व सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित नहीं की जायेगी ताकि किसी विशिष्ट व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियों की पहचान हेतु समर्थ बना सकें और ऐसी सूचना इस अधिनियम के अधीन किन्हीं प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जायेगी।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय, कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण में या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संकलन या उसके कंप्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को, धारा 151 में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यष्टि विवरणी को देखने या उसकी पहुंच तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(3) XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX

अनुसूची 2

[धारा 7 देखें]

क्रियाकलापों या संव्यवहारों को माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जायेगा

1. से 6. XX XX XX XX XX

7. माल का प्रदाय

निम्नलिखित को माल के प्रदाय के रूप में माना जायेगा, अर्थात्:-

किसी भी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, माल का प्रदाय।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX
(AMENDMENT) BILL, 2021**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing clause (a) and before the existing clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, the following new clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

“(aa) the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or constituents or *vice-versa*, for cash, deferred payment or other valuable consideration;

Explanation.-For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions *inter se* shall be deemed to take place from one such person to another;”.

3. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-

After the existing clause (a) and before the existing clause (b) of sub-section (2) of section 16 of the principal Act, the following new clause shall be inserted, namely:—

“(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;”.

4. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-

The existing sub-section (5) of section 35 of the principal Act, shall be deleted.

5. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-

For the existing section 44 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“**44. Annual return.-** Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self- certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.”.

6. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-

For the existing proviso to sub-section (1) of section 50 of the principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

“Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return

for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger.”.

7. Amendment of section 74, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (ii) of Explanation 1 of section 74 of the principal Act, for the existing expression “sections 122, 125, 129 and 130”, the expression “sections 122 and 125” shall be substituted.

8. Amendment of section 75, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (12) of section 75 of the principal Act, the following new Explanation shall be added, namely:—

“**Explanation.**— For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39”.

9. Amendment of section 83, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing sub-section (1) of section 83 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of section 122, in such manner as may be prescribed.”.

10. Amendment of section 107, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (6) of section 107 of the principal Act, for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:—

“Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five per cent of the penalty has been paid by the appellant.”.

11. Amendment of section 129, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 129 of the principal Act, —

(i) for the existing clauses (a) and (b) of sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

“(a) on payment of penalty equal to two hundred per cent. of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;

(b) on payment of penalty equal to fifty per cent. of the value of the goods or two hundred per cent. of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;”;

(ii) the existing sub-section (2) shall be deleted;

(iii) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

“(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or clause (b) of sub-section (1).”;

(iv) in sub-section (4), for the existing expression “No tax, interest or penalty”, the expression “No penalty” shall be substituted;

(v) for the existing sub-section (6), the following shall be substituted, namely:—

“(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3):

Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less:

Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.”.

12. Amendment of section 130, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-

In section 130 of the principal Act, —

- (i) in sub-section (1), for the existing expression “Notwithstanding anything contained in this Act, if ”, the word “Where” shall be substituted;
- (ii) in the second proviso to sub-section (2), for the existing expression “amount of penalty leviable under sub-section (1) of section 129”, the expression “penalty equal to hundred percent of the tax payable on such goods” shall be substituted;
- (iii) the existing sub-section (3) shall be deleted.

13. Substitution of section 151, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-

For the existing section 151 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“151. Power to call for information.- The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein.”.

14. Amendment of section 152, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-

In section 152 of the principal Act, —

- (i) in sub-section (1), —
 - (a) the existing expression “of any individual return or part thereof” shall be deleted;
 - (b) after the existing expression “any proceedings under this Act” and before the existing punctuation mark “.”, the expression “without giving an opportunity of being heard to the person concerned” shall be inserted;
- (ii) the existing sub-section (2) shall be deleted.

15. Amendment of Schedule II, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-

In Schedule II of the principal Act, the existing paragraph 7 shall be deleted and shall be deemed to have been deleted with effect from the 1st day of July, 2017.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on *intra-State* supply of goods or services or both by the State Government.

The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2021, *inter alia*, provides for the following, namely:—

- (i) Clause 2 of the Bill seeks to amend section 7 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, with retrospective effect from the 1st July, 2017, by inserting a new clause (aa) in sub-section (1) thereof, so as to ensure levy of tax on activities or transactions involving supply of goods or services by any person, other than an individual, to its members or constituents or vice-versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration.

It is also proposed to insert an Explanation therein, to clarify that the person or its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions *inter se* shall be deemed to take place from one person to another.

- (ii) Clause 3 of the Bill seeks to amend section 16 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 by inserting a new clause (aa) in sub-section (2) thereof, so as to provide that input tax credit on invoice or debit note may be availed only when the details of such invoice or debit note has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note.
- (iii) Clause 4 of the Bill seeks to delete sub-section (5) of section 35 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to remove the mandatory requirement of getting annual accounts audited and the reconciliation statement submitted by specified professional.
- (iv) Clause 5 of the Bill seeks to substitute a new section for section 44 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to remove the mandatory requirement of furnishing a reconciliation statement duly audited by specified professional and to provide for filing of the annual return on self-certification basis. It further empowers the Commissioner to exempt a class of taxpayers from the requirement of filing the annual return.
- (v) Clause 6 of the Bill seeks to amend section 50 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 to substitute the proviso to sub-

section (1) so as to charge interest on net cash liability retrospectively with effect from the 1st July, 2017.

- (vi) Clause 7 of the Bill seeks to amend section 74 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to make seizure and confiscation of goods and conveyances in transit a separate proceeding from the recovery of tax.
- (vii) Clause 8 of the Bill seeks to amend section 75 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to insert an Explanation in sub-section (12) to clarify that “self-assessed tax” shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39.
- (viii) Clause 9 of the Bill seeks to substitute sub-section (1) of section 83 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide that provisional attachment shall remain valid for the entire period starting from the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV till the expiry of a period of one year from the date of order made thereunder.
- (ix) Clause 10 of the Bill seeks to insert a new proviso in sub-section (6) of section 107 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide that no appeal shall be filed against an order made under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five per cent. of the penalty has been paid by the appellant.
- (x) Clause 11 of the Bill seeks to amend section 129 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to delink the proceedings under that section relating to detention, seizure and release of goods and conveyances in transit, from the proceedings under section 130 relating to confiscation of goods or conveyances and levy of penalty.
- (xi) Clause 12 of the Bill seeks to amend section 130 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to delink the proceedings under that section relating to confiscation of goods or conveyances and levy of penalty from the proceedings under section 129 relating to detention, seizure and release of goods and conveyances in transit.
- (xii) Clause 13 of the Bill seeks to substitute section 151 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to empower the jurisdictional commissioner to call for information from any person relating to any matters dealt with in connection with the Act.
- (xiii) Clause 14 of the Bill seeks to amend sub-section (1) of section 152 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide

that no information obtained under sections 150 and 151 shall be used for the purposes of any proceedings under the Act without giving an opportunity of being heard to the person concerned.

- (xiv) Clause 15 of the Bill seeks to delete paragraph 7 of Schedule II to the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 with retrospective effect from the 1st day of July, 2017, consequent to the amendments made in section 7.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

**संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन
महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश ।**

(प्रतिलिपि: संख्या प.2 (24) विधि/2/2021 जयपुर, दिनांक 06 सितम्बर, 2021
प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रेषिति: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ।

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2021 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Rajasthan.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 5 of the Bill seeks to amend section 44 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to empower the State Government to provide by rules the time within which and the form and manner in which every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return.

Clause 9 of the Bill seeks to amend section 83 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 by substituting sub-section (1) thereof, which empowers the State Government to provide by rules the manner in which the Commissioner may attach provisionally any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of section 122.

Clause 11 of the Bill seeks to amend section 129 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017. Sub-section (6) of the said section seeks to empower the State Government to provide by rules the manner in which and the time within which the goods or conveyance detained or seized under that section shall be sold or disposed of.

The matters in respect of which the rules may be made are generally matters of procedure and administrative details and it is not practicable to provide for them in the Bill itself. The delegation of legislative powers is, therefore, of a normal character.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN GOODS
AND SERVICES TAX ACT, 2017**

(Act No. 9 of 2017)

XX XX XX XX XX XX

35. Accounts and other records.- (1) to (4) xx xx xx

(5) Every registered person whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant and shall submit a copy of the audited annual accounts, the reconciliation statement under sub-section (2) of section 44 and such other documents in such form and manner as may be prescribed:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.

(6) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

44. Annual return.- (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

(2) Every registered person who is required to get his accounts audited in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 35 shall furnish, electronically, the annual return under sub-section (1) along with a copy of the audited annual accounts and a reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return

furnished for the financial year with the audited annual financial statement, and such other particulars as may be prescribed.

Explanation.- For the purposes of this section, it is hereby declared that the annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 shall be furnished on or before the 31st January, 2020 and the annual return for the period from the 1st April, 2018 to the 31st March, 2019 shall be furnished on or before the 31st March, 2020.

XX XX XX XX XX XX

50. Interest on delayed payment of tax.- (1) Every person who is liable to pay tax in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder, but fails to pay the tax or any part thereof to the Government within the period prescribed, shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid, pay, on his own, interest at such rate, not exceeding eighteen per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council:

Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.

(2) to (3) xx xx xx xx xx xx
 XX XX XX XX XX XX

74. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised by reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts.- (1) to (11) xx xx xx xx xx

Explanation 1.- For the purposes of section 73 and this section, - (i) xx xx x xx xx xx

(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under section 73 or section 74, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122, 125, 129 and 130 are deemed to be concluded.

Explanation 2.- xx xx xx xx xx
 XX XX XX XX XX XX

75. General provisions relating to determination of tax.- (1)
to (11) xx xx xx xx xx xx xx

(12) Notwithstanding anything contained in section 73 or section 74, where any amount of self-assessed tax in accordance with a return furnished under section 39 remains unpaid, either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provisions of section 79.

(13) xx xx xx xx xx xx
XX XX XX XX XX XX

83. Provisional attachment to protect revenue in certain cases.- (1) Where during the pendency of any proceedings under section 62 or section 63 or section 64 or section 67 or section 73 or section 74, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue, it is necessary so to do, he may, by order in writing attach provisionally any property, including bank account, belonging to the taxable person in such manner as may be prescribed.

(2) xx xx xx xx xx xx
XX XX XX XX XX XX

107. Appeals to Appellate Authority.- (1) to (5) xx xx xx

(6) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid-

(a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him; and

(b) a sum equal to ten per cent. of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order, subject to a maximum of twenty-five crore rupees, in relation to which the appeal has been filed.

(7) to (16) xx xx xx xx xx xx
XX XX XX XX XX XX

129. Detention, seizure and release of goods and conveyances in transit.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person transports any goods or stores any goods while they are in transit in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, all such goods and conveyance used as a means of transport for carrying the said goods and documents relating to such

goods and conveyance shall be liable to detention or seizure and after detention or seizure, shall be released,-

(a) on payment of the applicable tax and penalty equal to one hundred per cent. of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent. of the value of goods or twenty five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such tax and penalty;

(b) on payment of the applicable tax and penalty equal to the fifty per cent. of the value of the goods reduced by the tax amount paid thereon and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent. of the value of goods or twenty five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such tax and penalty;

(c) upon furnishing a security equivalent to the amount payable under clause (a) or clause (b) in such form and manner as may be prescribed:

Provided that no such goods or conveyance shall be detained or seized without serving an order of detention or seizure on the person transporting the goods.

(2) The provisions of sub-section (6) of section 67 shall, *mutatis mutandis*, apply for detention and seizure of goods and conveyances.

(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyances shall issue a notice specifying the tax and penalty payable and thereafter, pass an order for payment of tax and penalty under clause (a) or clause (b) or clause (c).

(4) No tax, interest or penalty shall be determined under sub-section (3) without giving the person concerned an opportunity of being heard.

(5) On payment of amount referred in sub-section (1), all proceedings in respect of the notice specified in sub-section (3) shall be deemed to be concluded.

(6) Where the person transporting any goods or the owner of the goods fails to pay the amount of tax and penalty as provided in sub-section (1) within fourteen days of such detention or seizure, further proceedings shall be initiated in accordance with the provisions of section 130:

Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fourteen days may be reduced by the proper officer.

130. Confiscation of goods or conveyances and levy of penalty.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if any person -

(i) supplies or receives any goods in contravention of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder with intent to evade payment of tax; or

(ii) does not account for any goods on which he is liable to pay tax under this Act; or

(iii) supplies any goods liable to tax under this Act without having applied for registration; or

(iv) contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder with intent to evade payment of tax; or

(v) uses any conveyance as a means of transport for carriage of goods in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder unless the owner of the conveyance proves that it was so used without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person in charge of the conveyance,

then, all such goods or conveyances shall be liable to confiscation and the person shall be liable to penalty under section 122.

(2) Whenever confiscation of any goods or conveyance is authorised by this Act, the officer adjudging it shall give to the owner of the goods an option to pay in lieu of confiscation, such fine as the said officer thinks fit:

Provided that such fine leviable shall not exceed the market value of the goods confiscated, less the tax chargeable thereon:

Provided further that the aggregate of such fine and penalty leviable shall not be less than the amount of penalty leviable under subsection (1) of section 129:

Provided also that where any such conveyance is used for the carriage of the goods or passengers for hire, the owner of the conveyance

shall be given an option to pay in lieu of the confiscation of the conveyance a fine equal to the tax payable on the goods being transported thereon.

(3) Where any fine in lieu of confiscation of goods or conveyance is imposed under sub-section (2), the owner of such goods or conveyance or the person referred to in sub-section (1), shall, in addition, be liable to any tax, penalty and charges payable in respect of such goods or conveyance.

	(4) to (7)	xx	xx	xx	xx	xx	xx
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

151. Power to collect statistics.- (1) The Commissioner may, if he considers that it is necessary so to do, by notification, direct that statistics may be collected relating to any matter dealt with by or in connection with this Act.

(2) Upon such notification being issued, the Commissioner, or any person authorised by him in this behalf, may call upon the concerned persons to furnish such information or returns, in such form and manner as may be prescribed, relating to any matter in respect of which statistics is to be collected.

152. Bar on disclosure of information.- (1) No information of any individual return or part thereof with respect to any matter given for the purposes of section 150 or section 151 shall, without the previous consent in writing of the concerned person or his authorised representative, be published in such manner so as to enable such particulars to be identified as referring to a particular person and no such information shall be used for the purpose of any proceedings under this Act.

(2) Except for the purposes of prosecution under this Act or any other Act for the time being in force, no person who is not engaged in the collection of statistics under this Act or compilation or computerisation thereof for the purposes of this Act, shall be permitted to see or have access to any information or any individual return referred to in section 151.

	(3)	xx	xx	xx	xx	xx	xx
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

SCHEDULE II

[See section 7]

**ACTIVITIES OR TRANSACTIONS TO BE TREATED AS
SUPPLY OF GOODS OR SUPPLY OF SERVICES**

XX	XX	XX	XX	XX	XX
1. to 6.	xx	xx	xx	xx	xx

7. Supply of Goods

The following shall be treated as supply of goods, namely:-

Supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration.

XX	XX	XX	XX	XX	XX
----	----	----	----	----	----

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 15 of 2021

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX
(AMENDMENT) BILL, 2021**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil Kumar Mathur,
Secretary.

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)